RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ११] शनिवार, मार्च २५, २०१७/चैत्र ४, शके १९३९ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २५ मार्च २०१७ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XVI OF 2017.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०१७।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९६१ का महा. २४।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९६१ का महा. २४ में अध्याय ११-१क की निवष्टि।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) के अध्याय ग्यारह के पश्चात्, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— १९६० का महा. २४।

" अध्याय ग्यारह-१क

अकृषिक सहकारी साख संस्था

अकृषक सहकारी साख संस्था के अध्याय ग्यारह-१क की प्रयुक्ति।

१४४-२क (१) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में अकृषक सहकारी साख संस्था को लागू होगा।

(२) इस अध्याय के उपबंध, जिसे इसमें आगे यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

परिभाषाएँ।

१४४-३क इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) " अकृषिक सहकारी साख संस्था " का तात्पर्य, एक संस्था जिसका प्राथमिक उद्देश उसके सदस्यों को सारव मुहैया करने तथा सदस्यों से निक्षेप राशियों स्वीकृत करने से है और इसमें,—

(एक) कोई नगर साख सहकारी संस्था ;

(दो) ग्रामीण अकृषिक साख सहकारी संस्था ;

(तीन) वेतन अर्जित करनेवालों की साख सहकारी संस्था ; और

(चार) कोई अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्ग जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर **राजपत्र** में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ;

(ख) " महाराष्ट्र राज्य अकृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड " या " नियामक बोर्ड " का तात्पर्य, १४४-१३क के अधीन गठित बोर्ड, से है ;

(ग) " स्थिरीकरण और परिसमापन सहायक निधि " का तात्पर्य, धारा १४४-२५क के अधीन सृजित स्थिरीकरण और परिसमापन सहायक निधि, से है ;

कारोबार का प्ररूप जिसमें अकृषिक सहकारी साख संस्था शामिल हो सकेगी।

१४४-४क (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ " कहा गया है) के प्रारंम्भण के दिनांक से अकृषिक सहकारी साख संस्था, कारोबार के किसी एक या अधिक निम्न प्ररूपों में शामिल हो सकेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ...।

(क) सदस्यों से उधार-ग्रहण करना, संचयन करना या निक्षेप स्वीकृत करना, या तो सुरक्षा पर या बिना सुरक्षा की राशि, के अग्रिम ऋणों और अग्रिमों का प्रबंध करना, सदस्यों को स्वयं द्वारा सुरक्षित निक्षेप कक्ष मुहैया करना ;

(ख) किसी अपने दावे के समाधान या अंशत: समाधान में ऐसी अकृषिक सहकारी साख संस्था के कब्जे में आ सकनेवाली किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने, विक्रय करने और वसूली करने ;

(ग) किसी सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने और सामान्यत: व्यवहार करने या किसी ऐसी सम्पत्ति में किसी अधिकार, हक या हित जो किसी कर्ज या अग्रिम के लिये सुरक्षा का प्रकार या सुरक्षा का भाग हो सकेगा या किसी ऐसी सुरक्षा से सम्बन्धित हो सकेगा ;

(घ) अकृषिक सहकारी साख संस्था के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवन या कार्य के अधिग्रहण, संनिर्माण, रखरखाव और परिवर्तन करने ;

(ङ) अकृषिक सहकारी साख संस्था की सम्पत्ति और अधिकारों के सभी या किसी भाग का विक्रय करने, सुधार करने, प्रबन्ध करने, विकास करने, विनिमय करने, पट्टे पर देने, बंधक बनाने, निपटान करने या लेखे में मोड़ देने या अन्यथा व्यवहार करने ;

(च) इस धारा में यथा विनिर्दिष्ट स्वरूप का ऐसा कारोबार है तब अकृषिक सहकारी साख संस्था के किसी सदस्य के कारोबार के संपूर्ण या किसी भाग का ऐसे सदस्य से ऋण अग्रिम की वसूली के, प्रयोजन के लिए अर्जन करने और उसे हाथ में लेने ;

(छ) अकृषिक सहकारी साख संस्था के कारोबार के संवर्धन या उन्नति के लिए आनुषंगिक या सहायक सभा ऐसी अन्य बातें करना ;

(ज) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसरण में रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से अस्तियों के संनिर्माण के लिए स्वयं या चाहनेवाले सहायता कृत्यों को हाथ में लेना ;

(झ) कारोबार का कोई अन्य प्ररूप जो राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, कारोबार में लगे हुए प्ररूप में विनिर्दिष्ट करें जो अकृषिक सहकारी साख संस्था के लिए विधिपूर्ण होगा ।

(२) अकृषिक उप-धारा (१) के अधीन में जो निर्दिष्ट है से भिन्न किसी प्ररूप के कारोबार के, प्ररूप में मामले में कारोबार अनुज्ञाप्राप्त नहीं होकर के किसी अन्य प्ररूप के मामले में उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण की दिनांक से पूर्व किसी अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा पूर्वगामी उप-धारा के अधीन पहलेही हाथ में लिया गया है तो, ऐसी संस्था, उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण की दिनांक से अठारह महीनों के भीतर ऐसे कारोबार को समाप्त करेगी :

परंतु, यह कि विशेष मामलों में, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान होता है कि, अकृषिक सहकारी साख संस्था का कोई विस्तार उनके हित में हैं तो वह, बारह महिने के अनधिक अवधि जो इस प्रकार का अवधि कुल मिलाकर तीस महिनों से अनधिक हो तथा शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन, जैसा वह उचित समझे ऐसे अवधि तक वह अवधि विस्तारित कर सकेगा।

गैर सदस्यों से निक्षेप की स्वीकृति का प्रतिषेध।

१४४-५क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, किसी व्यक्ति से, जो उसका सदस्य नहीं है, से निक्षेप स्वीकृत नहीं करेगा । यदि कोई संस्था, जिसने उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व गैर–सदस्यों से निक्षेप स्वीकृत किया है, तो वह संस्था या तो उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण से दो वर्षों के भीतर सभी गैर सदस्यों की सदस्य के रूप में नामांकन करेगा या उनका निक्षेप का प्रतिदाय करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " सदस्य " नामिक सदस्य में सम्मिलित नहीं है।

व्यापार का अतिषेध।

१४४-६क. धारा १४४-४क या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, उसे दी गयी या उसके द्वारा रखी गई सुरक्षा के वसूली के संबंध में या किसी व्यापार मे लगी हुई, या अन्यों के लिए मालों के क्रय, विक्रय या वस्तू-विनिमय को छोडकर मालों का क्रय करने, विक्रय करने या वस्तू-विनियम करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करेगी ।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " मालों " का तात्पर्य, स्थावर संपत्ति के प्रत्येक किस्म अभियोज्य दावें, स्टाक, धन, सोना-चांदी और सिक्कों से अन्य और धारा १४४-४क, की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट सभी लिखितों से है।

अकृषिक सहकारी साख संस्था के लिए संपत्ति का निपटान आवश्यक नहीं है।

१४४-७क. धारा १४४-४क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अकृषिक सहकारी साख संस्था, किसी तरह अर्जित किसी स्थावर संपत्ति को धारण कर सकेगी, उसे अपने उपयोग के लिए, उसी के सिवाय, उसके अर्जन से या उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण से सात वर्षों से अधिक किसी अवधि के लिए, जो भी बाद का हो या इस धारा के अधीन ऐसी अवधि के किसी विस्तार या ऐसी संपत्ति का निपटान ऐसी अवधि या, यथास्थिति, विस्तार अवधि के भीतर किया जायेगा :

परन्तु, अकृषिक सहकारी साख संस्था यथा उपरोक्त सात वर्षों की अवधि के भीतर, उसके निपटान को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी संपत्ति का व्यवहार करेगी :

परन्तु यह और कि, रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में, तीन वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि द्वारा उपरोक्त सात वर्ष की अवधि बढा सकेगी जहाँ उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विस्तार अकृषिक सहकारी साख संस्था के हितों में होगा और शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन जैसा, वह उचित समझे ऐसे भी होगा।

प्रशासकिय तथा आस्थापना व्ययों पर सीमा।

१४४-८क. अकृषिक सहकारी साख संस्था, विनियामक बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में यथा अधिसूचित प्रशासकीय तथा आस्थापना व्ययों पर की सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगी।

संस्था की नकद आरक्षित निधि।

१४४-९क. अकृषिक सहकारी साख संस्था अपने पास आरक्षित नकद या बैंक के चालू खाते में औसत शेष या समतुल्य रकम के जरिए या अल्पकालिक निक्षेप ऐसे प्रतिशत समतुल्य राशि बैंक या बैंको में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी जो उसके कुल निक्षेप से पाँच प्रतिशत से कम न हों, यथा विनियामक बोर्ड, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार धारण की गई रकम कुल और प्रत्येक ब्रांच में दर्शानेवाली विवरणी प्रत्येक तिमाही के अंतिम पंद्रह दिन को या पहले संबंधित रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था को प्रस्तुत करेगी :

परंतु, धारा १४४-१०क मे विनिर्दिष्ट सीमा के अधिक्य में बनाए रखे गए कानुनी परिसमापन पर निकाले गए किसी ओवर ड्राफ्ट व इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आरक्षित के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए " बैंक " निबन्धन का तात्पर्य, धारा ७० में यथा विवरणित बैंक से है।

कानूनी परिनिर्धारित आरक्षित निधि।

१४४-१०क. प्रत्येक अकृषिक सहकारी साख संस्था अपने पास कानूनी परिनिर्धारित आरक्षित निधि या बैंक के मियादी निक्षेप में औसत शेष या समतुल्य रकम, यथा विनियामक बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे जो उसके कुल निक्षेप से बीस प्रतिशत से कम न हों या चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत के रूप में पोषित की जायेगी और इस प्रकार धारण की गई रकम दर्शानेवाली विवरणी प्रत्येक तिमाही के अंतिम पंद्रह दिन को या के पहले संबंधित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " बैंक " पद का तात्पर्य, धारा ७० में विवरणित बैंक से है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक पिछले तीन वर्षों में अव्यवहित कमसे कम क(–) श्रेणी रेटिंग अनुदत्त की गई है।

कर्ज और अग्रिमों पर निर्बन्धन।

१४४-११क. (१) अकृषिक सहकारी साख संस्था,—

(क) धारा ४४ के अनुसार अपने स्वयम के शेयरों की प्रतिभूति पर किसी कर्ज या अग्रिम के लिये अनुमति नहीं देगी ;

(ख) किसी कर्ज या अग्रिम या के पक्ष में प्रदान करने के लिये किसी से वचनबद्ध नहीं होगी,—

(एक) यथा अपेक्षित अपने किसी विद्यमान निदेशकों और उसके परिवार सदस्यों, अपने खुद के नियत निक्षेपों या इसी संस्था के परिवार सदस्य के नाम में धारित को छोड़कर जहाँ वह निदेशक है जहाँ उसके द्वारा पूरी सुरक्षा दी गई है ;

(दो) किसी फर्म या कम्पनी जिसमें किसी निदेशक और उसके परिवार सदस्य का सम्बद्ध है स्वामी, भागीदार, प्रबंधक, गारंटीकर्ता या मुख्य शेयर धारक या जिसमें वह वास्तविक सम्बद्ध धारण करता है।

(२) जहाँ कोई कर्ज या अग्रिम अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा मंजूर या अनुदत्त किया गया है ऐसी प्रतिबद्धता के लिए उसे उप-धारा (१) के खण्ड (ख) द्वारा मंजूर संवितरित किया गया नहीं हैं कि प्रवृत्त दिनांक को जिस दिनांक को कर्ज या अग्रिम दिया गया है या उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के बाद अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा मंजूर किया गया है, किन्तु ऐसे प्रारम्भण से पूर्व उसमें प्रविष्ट प्रतिबद्धता के अनुसरण में है तो, कर्ज या अग्रिम के कारण एकत्रित करके ब्याज समेत अकृषिक सहकारी साख संस्था को देय रक्कम की वसूली के लिए कदम उठाये जायेंगे, यदि, कोई हो, कर्ज या अग्रिम की मंजूरी के समय पर नियत अवधि के भीतर उस पर देय, या जहाँ उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व, ऐसी कोई अवधि नियत नहीं की गई है।

(३) यदि कोई प्रश्न प्रोद्भूत होता है जहाँ इस धारा के प्रयोजन के लिए कर्ज या अग्रिम का कोई संव्यवहार होता है तो वह, रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय उसपर अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए " परिवार " का तात्पर्य, धारा ७५ की उप-धारा (२) में किये स्पष्टीकरण के समान अर्थांतर्गत से है।

ऋण को छूट देने की शक्ति पर निर्बन्धन।

१४४-१२क. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, विनियामक बोर्ड के परामर्श से उसके द्वारा देय किसी ऋण के संपूर्ण या अशंतः छूट नहीं देगी,—

(क) उसके किसी विगत और वर्तमान निदेशकों और उनके परिवार के सदस्य ; या

(ख) कोई फर्म या कंपनी में, जिसमें उसका कोई विगत या वर्तमान निदेशक, निदेशक, भागीदार, प्रबंध एजेंट या गारण्टर या प्रमुख शेअरधारक या जिसमें वह कोई हित रखता है के रूप में उसके परिवार का सदस्य इच्छुक है।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लघंन में दी गई किसी छूट शून्य और प्रभावहीन होगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए " परिवार " संज्ञा का तात्पर्य, धारा ७५ की, उप-धारा (२) में किए स्पष्टिकरण के समान अर्थांतर्गत होगा।

महाराष्ट्र राज्य अकृषक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड।

१४४-१३क. राज्य सरकार, उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य अकृषक सरकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड गठित करेगी।

विनियामक बोर्ड का गठन।

१४४-१४क. विनियामक बोर्ड, निम्न सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रार, जो विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त, अतिरिक्त रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नायनिर्देशित किए जानेवाले किसी सहकारी बँक से उप महा प्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के दो निवृत्त अधिकारी,—

(एक) जो, बँक के उप महा प्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखनेवाले हो, तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नही की गई हो ; तथा

(दो) जिसमें से एक ऐसे बँक की सेवा जिसके परिचालन का क्षेत्र संपूर्ण राज्य है से निवृत्त होगा तथा अन्य एक ऐसे बँक की सेवा, जिसके परिचालन का क्षेत्र राज्य से कम है, से निवृत्त होगा ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक चार्टर्ड अकौटंट, जिसका नाम रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए लेखा परिक्षक के पॅनल पर दिखाई देता है तथा अकृषिक सहकारी साख संस्था के लेखापरिक्षण का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होनेवाला हो ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले अकृषिक सहकारी साख संस्था के चार प्रतिनिधि, जो विगत तीन क्रमवर्ती वर्षों में, " क " संपरीक्षा वर्ग का दर्जा प्राप्त किए है,—

(एक) जिसे अकृषिक सहकारी साख संस्था के निदेशक के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो तथा धारा ७३ गक में यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था के सदस्य होने के लिए या नियुक्त होने के लिए या सदस्य् के रूप में नामनिर्देशित या सहयोजित या चयनित होने के लिए अयोग्य नही होगा ; तथा

(दो) उसमेंसे एक ऐसी संस्था का निदेशक होगा जिसके परिचालन का क्षेत्र संपूर्ण राज्य है ; तथा और एक ऐसी संस्था का निदेशक होगा जिस संस्था का परिचालन का क्षेत्र एक जिले से कम नही है ; तथा और दो ऐसी संस्था के निदेशक होंगे जिस संस्था के परिचालन का क्षेत्र एक जिले से कम है।

विनियामक बोर्ड के सचिव।

१४४-१५क. रजिस्ट्रार द्वारा उप-रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की विनियामक बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति की जायेगी।

विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का पदावधि।

१४४-१६क. राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत के अध्यधीन, विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य का पदावधि उसके नामनिर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष का होगा। विनियामक बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य, केवल एक बार पूनःर्नामनिर्देशित हो सकेगा।

गैर-सरकारी सदस्य का इस्तिफा।

१४४-१७क. गैर-सरकारी सदस्य, किसी भी समय पर, स्वयं अपने स्वहस्ताक्षर से लिखित में, विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित करके, अपना इस्तिफा दे सकेगा। विनियामक बोर्ड के सदस्य का इस्तिफा, उसके अध्यक्ष द्वारा प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्र लागू होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों को हटाना।

१४४-१८क. राज्य सरकार, गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि वह सदस्य,—

(क) दिवालिया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) विकृत चित्तक का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(घ) सदस्य के रूप में काम करने के लिए अस्वीकृत किया है या कार्य करने के लिए असमर्थ है ; या ;

(ङ) धारा ७३गक में यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था के समिति का सदस्य होने के लिए या नियुक्त होने के लिए या समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित या सहयोजित या चयनित होने के लिए अयोग्य है।

आकस्मिक रिक्तियाँ कैसे भरी जानी चाहिए।

१४४-१९क. विनियामक बोर्ड में की आकस्मिक रिक्तियाँ, धारा १४४-१४क में यथा उपबंधित रित्या में तथा जब वे रिक्त होने के रूप में भरी जायेगी।

विनियामक बोर्ड के कारोबार का संचालन।

१४४-२०क. विनियामक बोर्ड के बैठक की सूचना, गणपूर्ति तथा विनियामक बोर्ड के कारोबार के लेन-देन से संबंधित प्रक्रिया, जैसा की विहित किया जाए ऐसी होगी।

विनियामक बोर्ड के गैरसरकारी सदस्यों को अनुमति।

१४४-२१क. विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समय-समय से विनिर्दिष्ट करे ऐसे, स्थिरकरण तथा परिसमपन सहायता निधि से ऐसा भत्ता अदा किया जायेगा।

विनियामक बोर्ड के कृत्य तथा सक्तियाँ।

१४४-२२क. (१) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाने गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विनियामक बोर्ड को निम्न मामलों के लिये, विनियम विरचित करने की शक्ति होगी, अर्थात :—

(क) किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्तिगत सदस्य से संग्रहित की जा सके, ऐसी अधिकतम जमा रकम ;

(ख) जमाराशी और सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण के लिये ब्याज के अधिकतम तथा न्यूनतम दरों ;

(ग) व्यक्तिगत सदस्य तथा सभी उससे संबंधित लेखों को मंजूर की जा सकनेवाले ऋण की अधिकतर सीमा ;

(घ) आरक्षित नकद के रूप में अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा संपोषित की जानेवाली अधिकतम सीमा ;

(ङ) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि के लिये अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा किये जाने वाले अंशदान का दर तथा उसका आवर्तन जो वार्षिक या अन्यथा हो सकेगा ;

(च) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि से जमाराशि के प्रतिदाय के लिये सहायता प्राप्ति के लिये पात्र होने के लिये संस्था के लिये मापदण्ड ;

(छ) अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा, उसके प्रशासनिक तथा स्थापना व्ययों पर उपगत किये जाने के लिये अनुमतिप्राप्त परिव्यय की अधिकतम सीमा।

(२) विनियमक बोर्ड को निम्न मामलों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति होगी :–

(क) अपालन संपत्ति का वर्गीकरण ;

(ख) संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिये और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ और प्रशिक्षण ;

(ग) जो संस्था के लिये पात्रता मापदण्ड स्थिरीकरण और परिसमापन सहायता निधि के अंशदान कर सकेगी ;

(घ) उन मामलों पर सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत जिन्हे विनियामक बोर्ड उचित समझता है और अकृषिक सहकारी संस्था के हित में समय-समय से जारी करना आवश्यक हैं।

(३) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनियामक बोर्ड पर, जैसा कि वह समय-समय से उचित समझे, ऐसे किन्हीं अन्य कृत्य तथा शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।

अकृषिक सहकारी साख संस्था पर बाध्य होनेवाले विनियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांत।

१४४-२३क. (१) अकृषिक सहकारी साख संस्था, धारा १४४-२२क के अनुसार विनियामक बोर्ड द्वारा जारी विनियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिये बाध्य होगी।

(२) रजिस्ट्रार, विनियामक बोर्ड द्वारा, समय-समय से विरचित विनियमों और जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण की रिपोर्ट, संस्था से माँग सकेगा।

अकृषिक सहकारी साख संस्था का ऋणस्थगन तथा निदेश।

१४४-२४क. (१) रजिस्ट्रार को, जमाकर्ताओं तथा, या सदस्यों के हितों के लिये हानिकारक रित्या या अकृषिक सहकारी साख संस्था के हित के लिये प्रतिकूल रित्या किन्हीं अकृषिक सहकारी साख संस्था के कार्यकलापों को रोकने के उद्देश से, किसी अकृषिक सहकारी साख संस्था के मामले में, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यदि वह ऐसा करने के लिये समाधानी हो जाता है तो, ऋणस्थगन अधिरोपित करने या निदेश जारी करने की शक्तियाँ होंगी।

(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, रजिस्ट्रार,—

(क) विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक तक, जमाराशि का प्रतिदाय करने या उस निकालने के लिये किन्ही अकृषिक सहकारी साख संस्था पर निर्बंधन अधिरोपित करना ;

(ख) जब संस्था किन्हीं अधिक या अधिकतर जमाराशि का स्वीकार तब तक नहीं कर सकती जबतक वह, कानूनी परिसापन अनुपात या नकद आरक्षित अनुपात से संबंधित कतिपय निबंधनों या किन्हीं अन्य निबंधनों का अनुसरण नहीं करती, है, आदेश जारी करना ; या

(ग) उप-धारा (१) के अधीन जारी किन्हीं ऋणस्थगन या निदेशों का उपांतरण करना या रद्द करना, और किन्हीं ऋणस्थगन या निदेश के ऐसे उपांतरण या रद्द करने के दौरान, जिसके अध्यधीन, उपांतरण या रद्दकरण प्रभावि होगा, जैसे कि वह उचित समझे, ऐसे निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा।

स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि का गठन।

१४४-२५क. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, " स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि, " सृजित करेगा और अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा किया गया अंशदान, सहायता की रकम का प्रतिकर और उसपर का ब्याज, उधार, प्राप्त परिदान तथा सरकार द्वारा प्राप्त कोई सहायता का समावेश होगा।

संस्थाओं द्वारा निधि में किया गया अंशदान।

१४४-२६क. (१) प्रत्येक अकृषिक सहकारी साख संस्था, विनियामक बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में, राज्य सरकार समय-समय से, अधिसूचित किये जाये, ऐसे दर पर और ऐसे रित्या स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि में वार्षिक या अन्यथा अंशदान करेगा।

(२) एकबार किये गये अंशदान का कोई भी भाग का, किन्ही भी कारण के लिये किन्ही अकृषिक सहकारी साख संस्था को, प्रतिकर किया जाएगा।

निधि का उपयोग।

१४४-२७क. (१) " स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि, " विनियामक बोर्ड द्वारा, समय-समय से, अभिनिर्धारित ऐसी निबंधनों तथा शर्तों पर धारा १४४-१०क में यथा विनिर्दिष्ट कानूनी परिसमापन अनुपात के संपोषण के लिये, अर्ह अकृषिक सहकारी साख संस्था का परिसमापन सहायता मुहैय्या करने के लिये, उपयोग में लाया जायेगा।

(२) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि, अकृषिक सहकारी साख संस्था के सदस्यों के निक्षेप, जिसे इस धारा की उप-धारा (३) के अधीन, यथा अधिसूचित निपटान के प्रारम्भण दिनांक के पश्चात्, परिसमापन में ली गई थी, के संदर्भ में वादों के निपटान के लिये उपयोग में लाया जायेगा। प्रति सदस्य जमाकर्ता निपटान की रकम, जमाकर्ता के निक्षेप की वास्तविक रकम या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर **राजपत्र** में जिसे अधिसूचित करेगा वह रकम होगी, जो भी कम हो।

(३) इस धारा की उप-धारा (२) के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, **राजपत्र** में निपटान के प्रारम्भण का दिनांक अधिसूचित करेगा।

निधि के प्रचालन तथा निवेशों का रखरखाव।

१४४-२८क. (१) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि का रखरखाव तथा परिचालित विनियामक बोर्ड द्वारा होगा।

(२) स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि द्वारा सृजित राशि, विनियामक बोर्ड के नाम में, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक या विगत तीन वर्षों के दौरान ' क ' लेखा श्रेणी पाने वाले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक या दो सौ करोड रुपये या अधिक रुपयों के मूल्य की किसी बैंक में खाता खोलकर रखी जाएगी।

(३) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में जमा राशि, उपरोल्लिखित किसी बैंकों में निवेशित की जा सकेगी। किसी भी बैंक में इस प्रकार निवेशित राशि, ऐसे निवेश के समय, उक्त समग्र निधि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, विनियामक बोर्ड की निम्न शक्तियाँ होगी :—

(क) अर्ह संस्था को, आदेश में यथा विवरणित ऐसे ब्याज दर, पुनर्भुगतान सूची पर, विनियामक बोर्ड द्वारा, यथाविहित कानूनी परिसमापन अनुपात के रखरखाव के लिये, स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि से रकम मंजूर करने, निकालने तथा भुगतान करने का आदेश पारित करना ;

(ख) अकृषिक सहकारी साख संस्था के सदस्यों के निक्षेप जिसे निपटान के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात् परिसमापन में लिया गया था, के भुगतान के लिये, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि से रकम मंजूर करने और निकालने के लिये, आदेश पारित करना ;

(ग) परिसमापक द्वारा निक्षेप के पुनर्भुगतान के लिये, मदद या सहायता मुहैय्या करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे विनियम विरचित करना । विनियामक बोर्ड, सरकार द्वारा, **राजपत्र** में समय-समय से अधिसूचित रकम के अध्यधीन, सहायता की मात्रा या, यथास्थिति, मदद की रकम विनिश्चित करने के लिये सक्षम होगा।

(५) विनियामक बोर्ड, संस्था से या, यथास्थिति, संस्था के परिसमापक से इसीप्रकार निकाली गई रकम की वसूली का मॉनिटर करेगा।

अंशदान, परिसमापन सहायता या वित्तीय सहायता के बकायों की वसूली।

१४४-२९क. यदि, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में अंशदान करने में विफल होता हैं या संस्था, परिसमापन सहायता के लिये उपलब्ध रकम के पुनर्भुगतान करने में विफल होता हैं या परिसमापक, उक्त निधि को, निक्षेपक के निपटान के लिये उपलब्ध वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में विफल होता हैं, तब रजिस्ट्रार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में, अंशदान, परिसमापन सहायता या, यथास्थिति, निपटान आदि की बकाये की रकम की वसूली करने के लिये, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा और इस प्रकार देय रकम और ब्याज को संस्था या, यथास्थिति, परिसमापक के सभी अन्य दायित्वों के संबंध में, प्राथमिकता में प्रथम श्रेणी होगी।

निधि का लेखा तथा लेखा-परीक्षा।

१४४-३०क. विनियामक बोर्ड का सचिव, विनियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे प्ररूप तथा रित्या, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि के लेखों का रखरखाव करेगा। उक्त निधि के लिये रखे गये लेखों की लेखा-परीक्षा, विनियामक बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

शास्ति अधिरोपित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति।

१४४-३१क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा धारा १४४-५क, धारा १४४-९क, धारा १४४-१०क या, यथास्थिति, धारा १४४-२४क में निर्देशित बातों का उल्लंघन या चूँक होती है तब, रजिस्ट्रार, ऐसी अ-कृषिक सहकारी साख संस्था पर अधिरोपित कर सकेगा,—

(क) जहाँ उल्लंघन, धारा १४४-५क या धारा १४४-२४क में निर्देशित स्वरुप का है, वहाँ जिसके लिये ऐसा उल्लंघन किया गया है, उसके संबंध मे, निक्षेप की रकम की दुगनी से अनधिक शास्ति होगी ;

(ख) जहाँ धारा १४४-९क की उप-धारा (१) या धारा १४४-१०क में निर्देशित स्वरुप के उल्लंघन या चूंक हो, वहाँ पचास हजार रुपये से अनधिक या ऐसे उल्लंघन या चूंक में, जहाँ ऐसी रकम परिमाणित है में अंतर्ग्रस्त रकम से दुगनी, जो भी अधिक हैं, की शास्ति ; और जहाँ ऐसा उल्लंघन या चूक दुबारा होती है, प्रथम बार के पश्चात्, प्रतिदिन के लिये जब तक उल्लंघन की शास्ति निरंतर रहे, तब पच्चीस हजार रुपयों तक अधिकतर शास्ति विस्तारित की जायेगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन शास्ति के न्याननिर्णय के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रार, अ-कृषिक सहकारी साख संख्या को, सूचना में विनिर्दिष्ट रकम क्यों अधिकथित नहीं की गई के कारण बतानेवाली सूचना तामिल करेगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी ऐसी अ-कृषिक सहकारी साख संस्था को दिया जायेगा ।

(३) इस धारा के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित शास्ति, रजिस्ट्रार द्वारा, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था पर तामिल किये गये रकम के भुगतान की माँग करने वाली सूचना के जारी किये गये दिनांक से चौदह दिनों की अवधि के भीतर, भुगतानयोग्य होगा और ऐसी अवधि के भीतर, रकम के भुगतान करने में अ-कृषिक सहकारी साख संस्था के विफल होने की दशा मे, यदि ऐसा जुर्माना मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं से, अधिरोपित किया गया है तो, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ द्वारा उपबंधित रित्या वसूल किया जा सकेगा । वसूली पर, ऐसा जुर्माना, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में जमा किया जायेगा ।" ।

सन् १९७४ का २।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १४६ के, खण्ड (त) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(त-१) अ-कृषिक सहकारी साख संस्था के मामले मे, उपरोक्त के अतिरिक्त में,—

(एक) संस्था धारा ४३ या ४४ का उल्लंघन करती है ; या

(दो) संस्था, धारा १४४-४क की उप-धारा (१) में निर्देशित से अन्य व्यवसाय के किन्हीं अन्य प्ररुप से जुडी है ; या

(तीन) संस्था, किसी गतिविधि में लगी है, जो धारा १४४-६क के उपबंधों के अनुसार प्रतिसिद्ध है ; या

(चार) संस्था, धारा १४४-७क में उल्लिखित अनबद्ध अवधि के भीतर, संस्था को आवश्यक नहीं ऐसी संपत्ति का निपटान नहीं करती ; या

(पाँच) संस्था, धारा १४४-८क के अनुसार, यथा अधिसूचित प्रशासनिक तथा स्थापना के व्यय की सीमा से आगे बढती हैं ।

(छह) संस्था, धारा १४४-११क तथा धारा १४४-१२क के उपबंधों के प्रतिकूल व्यवहार करती हैं ; या

(सात) संस्था, धारा १४४-२२क के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और विरचित विनियमों का अनुपालन करने में विफल होती हैं ; या

(आठ) संस्था, धारा १४४-२६क के उपबंधों के अनुसार, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि की ओर अंशदान करने में विफल होती है ; या " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १४७ के, खण्ड (त) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

" (त-१) यदि यह उस धारा के खण्ड (त-१) के अधीन अपराध है, तब पच्चीस हजार रुपयों तक बढाए जा सकने वाले जुर्माने से, या तीन वर्षों तक बढाये जा सके ऐसे कारावास से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ;" ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४), विभिन्न उद्देश्यों, वर्गीकरणों तथा उप-वर्गीकरण होनेवाली सभी सहकारी संस्थाओं को अभिशासित करता हैं। उक्त अधिनियम के उपबंध अभिशासित करते हैं और सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन पहलूओं के लिये उपबंध करते हैं तथा उसके सदस्यों के हित को संरक्षित करते हैं।

नागरी या ग्रामीण अ-कृषिक सहकारी साख संस्था (साख स्रोत संस्था), निक्षेपक की सहायता से मुख्य कार्य जो उनके पैसे, उनके पास तत्समय जमा करता है, और इसलिये, निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम के अधीन, उपबंधित कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य हैं। साख स्रोत संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होने से और इन संस्थाओं की गुणात्मक वृध्दि की सुनिश्चिति करने के लिये, उक्त अधिनियम, जो महाराष्ट्र राज्य में, सहकारी संस्थाओं को विनियमित करता हैं, को संशोधित करना इष्टकर है।

निक्षेपकों के हित का संरक्षण करने के लिए, ऐसी संस्थाओं को अलग रुप से विनियमित करना इष्टकर है। इसलिए, ऐसी साख स्रोत संस्थाओं के व्यवसाय और उनकी प्रणाली में पूर्ण रुप से, हाल ही के वर्षो में आए महत्वपूर्ण विकास के कारण, यह अत्यावश्यकता आग्रहपूर्ण हुई है। उक्त अधिनियम का संशोधन और परिणामस्वरुप अलग व्यापक उपायों का समावेशन, अब महत्वपूर्ण हुआ हैं।

इसलिये, ऐसी सहकारी संस्थाओं को विनियमित करने और निक्षेपकों के हित को सुरक्षित रखने के लिये, विशिष्ट उपबंधों को सम्मिलित करनेवाला एक अलग अध्याय, उक्त अधिनियम में निविष्ट करना प्रस्तावित हैं। उक्त प्रयोजनों से, संबंधित कतिपय कृत्यों के लिये अपराध और दण्डित करने के लिये उपबंध करने के लिये धाराएँ १४६ तथा १४७ संशोधित करने का भी प्रस्तावित है।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित २३ मार्च, २०१७।

सुभाष देशमुख,
सहकारिता मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड १(२).——इस खण्ड के अधीन, यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

खण्ड २.——इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अध्याय ग्यारह १-क जोड़ना है,—

(१) राज्य सरकार को, नयी धारा १४४-३क (क) (चार) किसी अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्गों, जो अधिनियम के उद्देश्यों के लिये अ-कृषिक सहकारी साख संस्था होंगी, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करने की, शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(२) नयी धारा १४४-४क (एक) के अधीन, **राजपत्र** में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, व्यवसाय के अन्य प्ररुप, जिसमें अ-कृषिक सहकारी साख संस्था का जुडना विधिपूर्ण होगा, विनिर्दिष्ट करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं ;

(३) नयी धारा १४४-८क के अधीन, विनियामक बोर्ड की सिफारिशों पर, प्रशासनिक और स्थापना परिव्यय की सीमा, जो अ-कृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा, उसके अपने व्यवसाय करने के दौरान, बढायी नहीं जायेगी, **राजपत्र** में अधिसूचित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं ;

(४) नयी धारा १४४-१३ क के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र राज्य अ-कृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उसे समनुदेशित ऐसे कर्तव्य तथा कार्यों का अनुपालन करने के लिये गठित करने की, शक्ति राज्य सरकार को दी गयी हैं ;

(५) नयी धारा १४४-२० क के अधीन, महाराष्ट्र राज्य अ-कृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड की, उसके व्यवसाय के संव्यवहार संबंधि गणपूर्ति तथा प्रक्रिया के संबंध में, बैठक की सूचना नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं ;

(६) नयी धारा १४४-२१ क के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र राज्य अ-कृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को भुगतान किये जानेवाले भत्ते, विनिर्दिष्ट करने की, शक्ति राज्य सरकार को दी गई हैं ;

(७) नयी धारा १४४-२२ क (३) के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र राज्य अ-कृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड को, समय-समय से, जैसा कि वह उचित समझे, किन्हीं अन्य कृत्यों तथा शक्तियाँ प्रदत्त करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं ;

(८) नयी धारा १४४-२५ क के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजन के लिये, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि सृजित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

(९) नयी धारा १४४-२६ क के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनियामक बोर्ड की सिफारिशों पर, दर तथा रीति जिसमें अ-कृषिक सहकारी साख संस्था, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में वार्षिक या अन्यथा अंशदान करेगी, जिसे अधिसूचित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

(१०) नयी धारा १४४-२७ क (२) के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, रकम, जो, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था के सदस्यों के निक्षेप के संबंध में, वादों के निपटान के लिये उपयोग में लायी गई है, जो, उप-धारा (३) के अधीन यथा, अधिसूचित निपटान के प्रारंभण के दिनांक के पश्चात्, परिसमापन में ली गयी थी, समय-समय से, अधिसूचित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

(११) नयी धारा १४४-२७क (३) के अधीन, धारा १४४-२७क की उप-धारा (२) के प्रयोजन के लिये, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, निपटारा के प्रारंभण का दिनांक अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

(१२) नयी धारा १४४-२८ (क) (४) (ग) के अधीन, रकम, जिसके अध्यधीन, महाराष्ट्र राज्य अ-कृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड, सहायता की मात्रा या, यथास्थिति, मद्द की रकम विनिश्चित करने के लिये सक्षम होगा, जिसे **राजपत्र** में, अधिसूचित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २५ मार्च २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.